

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 21/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ग :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

बनाम

- 1- श्री भगवान लाल गोयल उम्र 60 वर्ष पुत्र रामगोपाल गोयल जाति अग्रवाल निवासी बपावर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारों (मालिक व विक्रेता) मैसर्स गोयल ब्रदर्स वार्ड नं0 8 पुराना मेन बाजार कवाई तहसील अटरू जिला बारों।
- 2- श्री जतिन जैन पुत्र जितेन्द्र कुमार जाति जैन निवासी 87, एस.डी. पब्लिक स्कूल के पास प्रताप नगर-1 बोरखेडा, अखवा जिला कोटा। मैसर्स रंगावत ट्रेडिंग कम्पनी 49, बल्लभ बाडी हनुमान मन्दिर के पास आर.के. डेयरी के सामने कोटा।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

- उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)
2- श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3- अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 17.01.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ग :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2017 को मैसर्स गोयल ब्रदर्स वार्ड नं0 8 पुराना मेन बाजार कवाई तहसील अटरू जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री भगवान लाल गोयल पुत्र रामगोपाल गोयल (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 12.10.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (पूष ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट में विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (पूष ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (पूष्प ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट** के 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री भगवान लाल गोयल पुत्र रामगोपाल गोयल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 360/- रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (पूष्प ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट** के 04 मूल पैकेट को चार नमूना भागों में अलग-अलग मूल पैकेट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-775 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-775 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री भगवान लाल गोयल पुत्र रामगोपाल गोयल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/317 दिनांक 5.12.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 826/FSSA /Kota/ Act/2017 /935 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (पूष्प ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स गोयल ब्रदर्स वार्ड नं0 8 पुराना मेन बाजार कवाई तहसील अटरू जिला बारों से पत्रांक 318 दिनांक 5.12.2017 से सूचना चाही गई। मैसर्स गोयल ब्रदर्स वार्ड नं0 8 पुराना मेन बाजार कवाई तहसील अटरू जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र, जी.एस.टी., आधारकार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 18.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ने अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (पूष्प ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकेट** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 पूष्प ब्राण्ड मिर्च पाउडर का विक्रेता मात्र है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी को कभी भी जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गई है, फिर भी अप्रार्थी यह मानता है कि उसके द्वारा विक्रय किया जाने वाला उत्पाद समस्त मानको पर उत्तम है। परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये गये परिवाद के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जांच रिपोर्ट का पत्रावली में अवलोकन करने पर अप्रार्थी को यह जानकारी हुई कि उसके द्वारा विक्रय किया जाने वाला उत्पाद समस्त मानको पर अति उत्तम एवं श्रेष्ठ है। जांच रिपोर्ट में सैम्पल को **Ingredients not given as per regulation Contravention to regulation no. 2.2.2(a) (b) Food safety & standards (Packaging and Labeling) Regulation 2011**। जबकि परिवादी ने अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विक्रय किया जा रहा मिर्च पाउडर मात्र मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने के आधार पर नमूना एकत्रित किया था। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विक्रय किया जा रहा उत्पाद मिलावटी नहीं होने के साथ-साथ सभी मानको पर खरा है, जो कि **Food safety & Standard Laboratory, M.B.S. Hospital Campus, Kota** की जांच रिपोर्ट से भी जाहिर है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद में कही भी यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विक्रय किया जा रहा उत्पाद मिर्च पाउडर के पैकिंग पर किन **Ingredients** का वर्णन नहीं किया गया है। इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद निरस्तनीय है।

अप्रार्थी क्रम 1 उत्पाद का विक्रेता मात्र होने से परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में लगाये गये आरोपो के लिये किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं है। सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल का लिया गया तरीका अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से प्रस्तुत परिवाद निरस्तनीय है। परिवादी को जब इन तथ्यों की जानकारी हुई कि लिया गया सैम्पल सम्पूर्ण मानको पर अति उत्तम एवं श्रेष्ठ पाया गया है तब भी जान बूझकर परिवादी द्वारा बिना किसी वैध एवं युक्तियुक्त आधार के अप्रार्थी क्रम 1 को जैरबार व परेशान करने की गरज से उक्त परिवाद मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। जिन आधारों पर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करना बताया गया है वह आधार अप्रार्थी क्रम 1 के विरुद्ध किसी भी रूप में मान्य नहीं है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 826/FSSA /Kota/ Act/2017/935 दिनांक 22.11.2017 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जांच कर्य किया गया, खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (पूष्य ब्राण्ड) 500 ग्राम पैकिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 826/FSSA /Kota/ Act/2017/935 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रत्येक को 5000/- 5000/- रूपये पत्रावली मे कुल राशि 10,000/- रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जयें चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 2 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण, उसको निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक से पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

